न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 389/2025 राजस्व प्रार्थनापत्र

01 गोरधन पिता रेगता जाति बलाई उम्र व्यस्क तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

—— प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— विपक्षी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री मुकेश सिंह तंवर —अधिवक्ता प्रार्थी
2. पेशोकार सरकार —अधिवक्ता–विपक्षी संख्या 01

:: निर्णय :: दिनांक 10.09.25025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का प्रार्थनापत्र इस आशय का पेश किया कि सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता सख्या 13 के आराजी नम्बर 1900 रकबा 0.3238 हैक्टयर आराजी नम्बर 1904 रकबा 0.2276 हैक्टयर खाता सख्या 200 के आराजी नम्बर 1673 रकबा 0.0759 हैक्टयर आराजी नम्बर 1889 रकबा 0.2403 हैक्टयर आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.0506 हैक्टयर आराजी नम्बर 1898 रकबा 0.1644 हैक्टयर आराजी नम्बर 1899 रकबा 0.1518 हैक्टयर खाता सख्या 269 के आराजी नम्बर 3642/1905 रकबा 0.3162 हैक्टयर भूमि स्थित है जो प्रार्थी द्वारा दिनाक 04.07.2022 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदसुदा कृषि आराजीयात है किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा बिना किसी आदेश से नामान्तकरण खोलते समय लिपिकीय त्रुटी से प्रार्थी का हिस्सा गलत दर्ज कर लिया गया जो वर्तमान मे भी राजस्व रेकार्ड मे प्रार्थी के नाम पर हिस्सा गलत दर्ज चला आ रहा है, राजस्व रिकोर्ड के पुर्व जमाबन्दी रोटेशन मे प्रार्थी के द्वाराखरीदी गई कृषि आराजीयात का हिस्सा चला आ रहा था परन्तु उक्त कृषि आराजीयात बिना किसी आदेश के राजस्व कर्मचारियो द्वारा हिस्सा गलत दर्ज हो जाने के कारण प्रार्थी को किसी सरकारी योजना जैसे बैंक ऋण किसान क्रेडिट कार्ड किसान समान निधि आदि का लाभ नही मिल पा रहा है, जब प्रार्थी की पुर्व जमाबन्दी मे हिस्सा पुर्णरूप से सही चला आ रहा था उसी अनुसार प्रार्थी काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। इस कारण प्रार्थी उक्त जमाबन्दी मे अपने हिस्से को शुद्व करवाने का अधिकारी है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया व विपक्षी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया जवाब बन्द किया गया

प्रार्थीगण एवं विपक्षी सख्या 01 की बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मे दर्ज रकबे अनुसार व पुर्व जमाबन्दी अनुसार राजस्व रिकोर्ड मे हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया व विपक्षीगण द्वारा दोराने बहस कथन किया कि उक्त से किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नही हो रहा है प्रार्थी स्वय सिद्व करे प्रार्थी स्वय सिद्व करने में असफल रहता है तो प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को इसी स्तार पर खारीज किया जावे।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री एवं दस्तावेजात रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर

Scanned with OKEN Scanner

र्थनापत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी र्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

सरहद चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा भीलवाड़ा (राज0) मे खाता सख्या 13 के आराजी नम्बर 1900 रकबा 0.3238 हैक्टयर आराजी 1904 रकबा 0.2276 हैक्टयर खाता सख्या 200 के आराजी नम्बर 1673 रकबा 0.0759 हैक्टयर जी नम्बर 1889 रकबा 0.2403 हैक्टयर आराजी नम्बर 1890 रकबा 0.0506 हैक्टयर आराजी र 1898 रकबा 0.1644 हैक्टयर आराजी नम्बर 1899 रकबा 0.1518 हैक्टयर खाता सख्या 269 के जी नम्बर 3642/1905 रकबा 0.3162 हैक्टयर भूमि मे प्रार्थी के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार चिताम्बा पटवार हल्का चिताम्बा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चिताम्बा तहसील करेड़ा जिला वाड़ा (राज0) मे खाता सख्या 13 मे वर्तमान हिस्सा 1/24 के बजाय 1/8, खाता सख्या 200 मे मान हिस्सा 1/6, के बजाय 1/2 शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है एवं खाता सख्या 269 वर्तमान हिस्सा 1/4, एव पुर्व का हिस्सा समान होने से यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है. निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित करायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Scanned with OKEN Scanner